

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक .....B/8092/

जबलपुर, दिनांक 6 / 11 / 2023

श्री विवेक मिश्रा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के दिनांक 06.06.2023 से 23.06.2023 तक 18 दिन का अवैतनिक अवकाश अवधि को वैतनिक किया जाता है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल  
महोदय के आदेशानुसार

सही / -  
(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक .....B/8093/

जबलपुर, दिनांक 6 / 11 / 2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को इस निर्देश के साथ दिनांक 06.06.2023 से 23.06.2023 तक 18 दिन को अर्जित अवकाश लेखा में समायोजन किया जावे,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री विवेक मिश्रा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)